रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-142/2019/2685/22-2-2019-17(1050)/2019

लखनऊ:दिनांक: 25 अक्टूबर, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गॉधी की 150 वीं जयन्ती (दिनांक 02 अक्टूबर, **2019) के अवसर पर** जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी शैलेन्द्र वर्मा पुत्र श्री चतुर्भुज, ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा, थाना-सीपरी बाजार, जनपद-झांसी का रहने वाला है, जिन्हें मुकदमा सं0-189/17 अ0सं0-29/17 में भा0द0वि0 की धारा-454, 380, 411 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय ए0सी0जे0 (सी0डी0)/ए0सी0जे0एम0, झांसी के आदेश दिनांक 23.03.2019 द्वारा 03 वर्ष का कारावास एवं रू0-13,000/-का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा जिनके द्वारा दिनांक 01.10.2019 तक 02 वर्ष 08 माह 15 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है, जो कुल दी गयी सजा के 66 प्रतिशत से अधिक है एवं जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, झांसी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-142/2019/2685(1)/22-2-2019 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार झांसी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in